संख्या-13/2016/क0नि0-4-347/11-2016-300(28)/2015

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
कर एवं निबन्धन विभाग ,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 01 अप्रैल,2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये वाणिज्य कर विभाग में अभिसूचना के स्रोतों के विकास के लिये धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वाणिज्य कर विभाग में अभिसूचना के स्रोतों के विकास के सम्बन्ध में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र) को व्यय किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-89 के ''लेखा शीर्षक-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03 कर विभाग- 0301-अभिसूचना के स्रोतो का विकास-23-गुप्त सेवा व्यय' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
उप सचिव।

संख्या-13/2016/क0नि0-4- 347(1)/11-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
4- एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन हेतु आपको अधिकृत किया जाता है तथा उक्त धनराशि कोषागार से अपने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यूजर आई0डी0 से कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के आहरण वितरण अधिकारी के कोषागार कोड मे यथ समय/यथा आवश्यक आहरण हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

7- कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।